आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 59/2019-2020

(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

18/1/21

दाता बाबु रंजीत सिंह, पिता-साहब सिंह, ग्राम-कलेर, थाना+अंचल- कलेर, जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
306	–	01 एकड़ (01 विगहा 12 कठा)	उत्तर-सिवान वेलसार दक्षिण-पईन पूरब-सिवान कलेर पश्चिम-बडी नहर

मौजा- कलेर, थाना नं०-159, थाना- कलेर,अंचल-कलेर, जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 840 दिनांक 31.12.2020 से अंचल अधिकारी, कलेर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन मॉग की गई। दाता के तरफ से चन्द्र भुषण सिंह, पिता- स्व0 राजेन्द्र नरायण सिंह दाता के पोता विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद में उपस्थित हुए। अंचल अधिकारी कलेर द्वारा प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

दाता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खाता संख्या 306 की भूमि दाता का रैयति भूमि है, जो प्लौट न0 3258,4514, और 4577 है जिसका रकवा 1.05 एकड़ 30 डी0 और 21 डी0 है, जिसका कुल रकवा 1.56 एकड़ भूमि है। मेरे पूर्वज द्वारा खाता संख्या 306 में भूदान यज्ञ कमिटि में दान नहीं दिया गया है।दान पत्र पर हस्ताक्षर फर्जी है। मेरे पूर्वज लिखना पढना नहीं जानते थे, वे अंगुठा का निशान लगाते थे।

विर्णत भूमि जमिंदारी उन्मूलन पश्चात जमावंदी आवेदक के पूर्वज के नाम से कायम है, जिसका राजस्व का भुगतान अद्यतन करते चले आ रहे हैं। दाता की मृत्यु वर्ष 2000 ई0 में हो गई है, जिनके तीन पुत्र राजेन्द्र नरायण सिंह, तेज नरायण सिंह और सत्येन्द्र नरायण सिंह है। दाता के मृत्यु परान्त सभी सम्पति को तीनों भाईयों ने आपस में बराबर-बराबर वॉट लिया और अपने-अपने हिस्सों पर शांति पूर्वक दखल कब्जा में चले आ रहे है।

भूदान यज्ञ-दान पत्र पर में भूमि की स्पष्ट विवरण नहीं दी गई है, जिसमें प्लौट का जिक्र नहीं है और साथ ही चौहदी भी त्रुटिपूर्ण है, जो चौहदी में पईन दिया गया है जो भूमि का चौहदी में दक्षिण में कोई पईन नहीं है।

भूदान यज्ञ दान पत्र एवं अंचल अधिकारी कलेर का जॉच प्रतिवेदन तथा उभिलेख में संलग्न पोषित कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ-दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर है।दाता द्वारा भूमि दिनांक 13.02.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दान में दिया गया है। भूदान यज्ञ-दान पत्र पर खाता 306 अंकित है, रकवा 01 विगहा 12 कठा भूमि अंकित है। अंचल अधिकारी कलेर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि साहेब सिंह, पिता-दुखित सिंह किस्म धनहर कुल रकवा 1.56 एकड़ (एक एकड़ छपन्न डिसमिल) खतीयान में दर्ज है। खतीयानी रैयत भूदाता के पिता है, रंजीत सिंह,पिता-स्व0 साहेब सिंह के नाम पर 135/11जमावंदी दर्ज है जो विलोपित है। जमावंदी रैयत स्वयं दाता है।श्री चन्द्र भुषण सिंह व इन्द्रभुषण सिंह पिता स्व0 तेज नरायण सिंह वो श्री सत्येन्द्र सिंह, पिता-स्व0 रणंजीत सिंह, जो वर्तमान में दखल कब्जा में है, भू दाता जिनके दादा एवं पिता है। भूमि वर्तमान में धनहर एवं गढ़ा है। मौजा-कलेर खाता संख्या 306 खेसरा संख्या 3258,4564,4577/7151 कुल रकवा 1.56 एकड़ भूमि है जो रैयति खाते की है।प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालिक, मंदिर, मस्जिद, श्मशान,कब्रिस्तान,चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या मौजा एंव रकवा अंकित है, लेकिन खेसरा संख्या अंकित नहीं है, वैसे दन पत्र जिसमें खाता संख्या मौजा एवं रकवा अंकित है लेकिन खेसरा अंकित नहीं में संपुष्टि की कार्रवाई की जायेगी क्योकि संपुष्टि के पश्चात जमीन का चिन्हित करना संभव है।

दाता के पोता चन्द्र भुषण सिंह, पिता–स्व0 राजेन्द्र सिंह ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से केवल रंजीत सिंह,पिता–स्व0साहेव सिंह का नाम से खाता संख्या 307/22, 303,201,59,63,12,193,285,306 और 215 का मिलजुमले रकवा 15.56 डी0 (पंद्रह एकड़ छपन्न डीसमिल) का 2016–17 का राजस्व रसीद का छायाप्रति दायार किया है। प्रस्तावित भूमि से संवंधित कोई भी दास्तावेज दाखिल नहीं किया गया है कि भूमि रैयति खाता की है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दान की तथि को विषयगत भूमि में भू–दाता का Right Title釘Internst निहित था।

अतः अंचल अधिकारी, कलेर के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में वर्णित भूमि की संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी कलेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।